कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2552233 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/एल.एम–331–228/1090 रायपुर, दिनांक 25/04/2017

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
सरगुजा वन मंडल – अम्बिकापुर
छत्तीसगढ़

विषय: – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for proposal of Kente Extension Coal Block, Total area of block required for Prospecting 1759.04 (संशोधित क्षेत्र 1762.839 हे.) ha. – Regarding**

– **प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक – FP/CG/MRL/5/2016**

संदर्भ: – मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक/व.प्रा./नस्ती क्रमांक/–64/2017/635 दिनांक 31.03.2017

–00–

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से **Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited** द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत **Kente Extension Coal Block, Total area of block required for Prospecting 1759.04 ha.** (संशोधित क्षेत्र 1762.839 हे.) हेतु सरगुजा वन मंडल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पूर्वेक्षण बाबद् प्रस्ताव नोडल कार्यालय को प्राप्त हुआ हैं। प्रेषित परियोजना प्रतिवेदन में परीक्षण में निम्नानुसार कमियां पायी गई हैः–

1. आनलाईन प्रस्ताव में फार्म – सी के पार्ट "II" के कॉलम न. – **2.** Legal Status of forest land identified for prospecting : में वनमंडलवार क्षेत्रफल के विवरण में सरगुजा – 1745 हे. है। क्षेत्रफल का मिलान नहीं हो पा रहा है। अंतर क्यों दर्शित है ? आनलाईन सुधार करें।
2. वनमंडलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अधूरा अपलोड किया गया है। पुनः अपलोड करें।
3. आनलाईन प्रस्ताव में फार्म – सी के पार्ट "II" के कॉलम न. –11. Specific recommendation of the DFO/CCF /Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason संलग्न नहीं है। वन मंडलाधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक का अनुशंसा संबंधी पत्र संलग्न नहीं है।
4. आनलाईन प्रस्ताव में फार्म – सी के पार्ट "I", पार्ट "II" एवं पार्ट "III" की मूल हस्ताक्षरित प्रति आनलाईन अपलोड करें।
5. डी.जी.पी.एस सर्वे रिर्पोट, के.एम.एल फाईल तथा शेप फाईल प्रस्तावित क्षेत्र मय सी.डी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें एवं सत्यापन उपरांत आनलाइन अपलोड भी करें।
6. प्रस्ताव की **एक मूल प्रति** प्रस्तुत करें। यह सब स्थायी निर्देश हैं।
7. वनमंडलाधिकारी का नाम एवं सील विधिवत् दर्शित हो।

त्रुटियों को सुधार कर नवीन टाईम लाईन मय हस्ताक्षर प्रस्तुत करें। अपूर्ण प्रस्ताव किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। प्रकरण वृत्त कार्यालय में EDS किया जा रहा है। निर्देशानुसार लेख है कि कार्य सुधारे तथा वन मंडल के मानचित्रकार को सचेत किया जाता है।

विशेषः– निर्देशानुसार लेख है कि कार्य में सुधार करें।

संलग्नः– 4 प्रति प्रस्ताव की आवेदक के हस्ते मूलतः वापिस किया गया है।

(उप वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/खनिज/एल.एम–331–228/1091 रायपुर, दिनांक 25/04/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़। निर्देशानुसार लेख है कि प्रकरण परीक्षण कर ही प्रेषित किया करें।

– **Superintendent Engineer (Fuel),** Room no. 120, Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur, Rajasthan

वर्तमान में किसी भी वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

(उप वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर

क्र0/मा0चि0/ 1682 /अम्बि/दिनांक – 01/05/17

प्रतिलिपि:– वनमंडलाधिकारी सरगुजा वनमंडल की ओर उपरोक्त पूर्वेक्षण प्रकरण के 7 बिंदुओं पर उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित।

01/05/17

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर